

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 394]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 3 सितम्बर 2020 — भाद्रपद 12, शक 1942

सहकारिता विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 31 अगस्त 2020

अधिसूचना

क्रमांक/एफ 15-35/15-02/2019/1/3.— छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16-ग की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा प्रदेश के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये “जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019” विभाग के अधिसूचना क्र./एफ 15-35/15-02/2019/1/2 दिनांक 25.07.2019 जारी की गई थी।

(2) उक्त पुनर्गठन योजना के क्रियान्वयन के दौरान, माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर में विभिन्न याचिकायें प्रस्तुत की गई थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश दिनांक 22.11.2019 द्वारा, विभाग की उक्त अधिसूचना की कंडिका 08 को अपास्त किया गया, किन्तु सोसाइटी के पुनर्गठन की कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई गई।

(3) तदपश्चात् छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16—ग की उप—धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन द्वारा प्रदेश की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये, आगामी कार्यवाही के क्रियान्वयन हेतु “प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019” की कंडिका 08—प्रबंध को छोड़कर, कंडिका—5 पुनर्गठन की प्रक्रिया को उपांतरित करने अधिसूचना क्र./एफ 15—35/15—02/2019/1 दिनांक 07.03.2020 जारी की गई।

(4) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 07.03.2020 की उपांतरित कंडिका 05—(च) के अनुपालन में पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ द्वारा परीक्षण उपरांत “प्राथमिक साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019” के क्रियान्वयन हेतु अनुसूची—एक, दो एवं तीन प्रस्तुत किया है।

(5) अतएव विभाग द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों के पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 07.03.2020 की कंडिका 05—(छ) के अनुसरण में, राज्य शासन एतद् द्वारा, जिले के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रेषित अनुसूची — एक, दो एवं तीन को जारी करता है। हितबद्ध पक्षकार या कोई व्यक्ति अपना अभ्यावेदन, दावा या आपत्ति विभाग के ई—मेल आई.डी. osd.coop-cg@nic.in में या पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर में दिनांक 10.09.2020 तक प्रस्तुत कर सकेंगे। निर्धारित दिनांक के पश्चात् प्राप्त अभ्यावेदन, दावा या आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा। अभ्यावेदनों, दावा या आपत्ति पर राज्य शासन का विनिश्चय अंतिम होगा, जो सभी पक्षों पर बंधनकारी होगा।

(6) प्राप्त अभ्यावेदनों का निराकरण कर प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019 की अनुसूची—एक, दो एवं तीन का अंतिम प्रकाशन कर, पुनर्गठन योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा।

संलग्न :- अनुसूची — एक, दो एवं तीन

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी.एस. सर्पराज, उप—सचिव.

जिला रायपुर छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटियों की पुनर्गठन योजना 2019

अनुसूची-एक

क्र.	विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसायटी)	अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)	विद्यमान सोसायटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है (परिणामी सोसायटी)
1	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या, सरोरा	जोता	टण्डवा
2	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या, सांकरा	सङ्डू	मोहदा
3	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या, पचेड़ा (आरंग)	खपरी	नरदहा

**जिला रायपुर छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटियों की पुनर्गठन योजना
2019**

अनुसूची- दो

क्र.	विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसायटी)	नवीन सोसायटी	नवीन सोसायटी का कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)
1	केन्द्री	बेन्द्री	बेन्द्री, परसट्टी, निमोरा, तूला
2	चांपाझर	टीला	टीला, सेमरा, भोथीडीह
3	पोंड	सुन्दरकेरा	सुन्दरकेरा, मदलोर, परसदा, सोंठ, घोंठ
4	तामासिवनी	तोरला	तोरला, भुरका, घोरभट्टी
5	मानिकचौरी	जामगांव	जामगांव, जवईबांधा, खोला, उमरपोटी, आलेखुटा,
		पिपरौद	पिपरौद, डोंगीतराई, सोनेसिल्ली
6	रवेली	परसदा	परसदा, आमदी
7	ढोढरा		खट्टी
8	नवापारा	पटेवा	पटेवा, दुलना, चिपरीडीह, कुर्रा
9	मोहदा	खैरखुंट	खैरखुंट, सगुनी, बलोदी, सुंगेरा
10	देवरी (तिल्दा)	भिंभौरी	भिंभौरी, खुडमुड़ी, रजिया, केंवतरा, बहेराडीह
11	बेल्दारसिवनी	बुडेरा	बुडेरा, घिवरा, केवराडीह
12	खरोरा	मांठ	मांठ, मुडपार, तिल्दाडीह
13	गनियारी	असौंदा	असौंदा, बिठिया, तुलसी
		अडसेना	अडसेना, मोहदी
14	मढी	बरतोरी	बरतोरी, कोदवा
15	खौना	रायखेड़ा	रायखेड़ा, सोनतरा, गैतरा
16	पचरी	छडिया	छडिया, नहरडीह, मधईपुर, मोतिमपुरखुर्द
17	देवरी(धरसीवां)	पंडरभट्टा	पंडरभट्टा, भैसमुड़ा, भेरवा, मुर्रा
18	धरसीवां	मोहदी	मोहदी, गोढ़ी, टांडा, अकोली
		कुर्रा	कुर्रा
19	सिलयारी	नगरगांव	नगरगांव, टोर, गिधौरी, बरबंदा, नेउरडीह, मांढर
20	भानसोज	फरफौद	फरफौद, छतौना, अकोलीखुर्द, बोहारडीह, परसाडीह, खपरी
21	मोखला	लखौली	लखौली, बोरिद, देवदा, सोनपैरी
22	भिलाई	गोईन्दा	गोईन्दा, छटेरा, बनचरौदा, लिंगाडीह, अकोलीखुर्द, अकोलीकला
23	देवरी(आरंग)	बाना	बाना, बनरसी, गुमा
		गुल्लु	गुल्लु, अमेठी, गुदगुदा, अकोलीकला
		चपरीद	चपरीद, कुसमुंद, रानीसागर, समोदा
24	आरंग	पंधी	पंधी, निसदा
25	रींवा	जरौद	जरौद, बोडरा, कलई
		खमतराई	खमतराई, भोथली, बैहार, घुमराभाठा

26	खुटेरी(उमरिया)	टेकारी	टेकारी, कुण्डा, खम्हरिया
		गोढी	गोढी, कुटेसर, तोडगांव, पीपरहट्टा, सिवनी
27	भैंसा	खोरसी	खोरसी, अछोली, लांजा, परसवानी, भटिया
28	भंडार		सेजा, डुम्हा
29	कोसरंगी	देवरतिल्दा	देवरतिल्दा, परसवानी, घोरभट्टी
30	संकरी	कोरासी	कोरासी, पिरदा
		अमसेना	अमसेना, कोडापार, धोवभट्टी, परसवानी
31	नगपुरा	मुनरेठी	जुगेशर, मुनरेठी, मुनगी, बाहनाकाड़ी
32	अमोदी	सेमरिया	सेमरिया, परसदा, कागदेही
33	चिखली		करमंदी, हरदीडीह
34	गौरभाठ	भलेरा	खपरी, गिधवा, भलेरा

जिला रायपुर छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटियों की पुनर्गठन योजना 2019

अनुसूची-तीन

क्र.	विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित क्षेत्र)	अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)	विद्यमान सोसायटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है (परिणामी सोसायटी)	नवीन सोसायटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है
1	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या, अभनपुर	बेलडीह	पचेड़ा	—
		आमनेर, चण्डी, मोहंदी भाठापारा	—	चण्डी
		सकरी, बेलर कोपेडीह	—	सकरी
2	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या, खोरपा	परसुलीडीह	ढोढरा	—
		सारखी कोलर	—	सारखी
3	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या, कठिया	चेरिया, तेदुवा, बंजारी, कुरु	—	बंजारी
4	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या, पचेड़ा (अभनपुर)	पौता	—	—
		नवागांव, खपरी	बरौदा	
		कुहेरा	पलौद	गनौद
		तौंदुल	—	
5	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या, पलौद	गनौद, धमनी, कोसमखुटा, बिरबिरा, नरियरा	—	गनौद